सवाई माधोपुर

02.06.23 P.O. साब राजकार्य से बाहर होने पर पत्रावली पूर्ववत् दिनांक 12/6/23 को पेश हो। | नि० चि० अदालती नोटिस 549+550 7/6/23

12/6/23 पत्रावली वास्ते बहस हेतु पेश हुई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 19/6/23 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

19.6.23 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। समयाभाव के कारण पत्रावली 26/6/23 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

26.6.23 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया गया। अधि० अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजियात पक्षकारान की पैतृक आराजी है। रामजीलाल व लल्लू पिसरान रामफूललाल द्वारा तहसीलदार सवाई माधोपुर को दिनांक 03.06.2016 को इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया गया कि उनके (पक्षकारान) के पिता के फौत हो जाने पर उनके हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है, तदनुसार सहमति के आधार पर तकासमा के आदेश किए जावे।

तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा उसी दिनाङ्क को बटवारा स्कीम स्वीकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान....रामजीलाल.............बनाम....लल्लू..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी

करते हुए ख॰ न॰ 350, 1720/329, 1722/1135, 1137, 1721/1162 कुल किता 05 रकबा 01.58 हे॰ रामजीलाल व 329, 738, 1134, 1135, 1162 कुल किता 05 रकबा 01.95 हे॰ लल्लू के नामन्तकरण विभाजन का आदेश किया गया।

आगे कथन किया गया कि अपीलांट रामजीलाल को बिना बताए ही, पटवारी ने बिना मौके पर बताए ही, तहसीलदार ने आदेश कर दिए। अपीलांट को जानकारी होते ही तहसीलदार के आलोच्य आदेश के विरुद्ध न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष अपील संख्या 626/2016 बउनवान रामजीलाल बनाम लल्लू पेश की, परन्तु अदालत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा, बिना प्रार्थी/अपीलांट को सुने ही दिनांक 03.07.2017 को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से खारिज कर दी गई। यह अपील इसी आदेश के विरुद्ध धारा 225 रा॰ का॰ अ॰ के अन्तर्गत पेश की गई है। अतः अपील अदालत श्रीमान का श्रवणाधिकार होने से मुख्य बहस सुनी जावे।

अधिवक्ता रेस्पो॰ द्वारा श्रवणाधिकार पर आपत्ति करते हुए कथन किए कि धारा 225 रा॰ का॰ अधि॰ में द्वितीय अपील का प्रावधान ही नहीं है। अपील का श्रवणाधिकार मा॰ न्यायालय को नहीं होने के कारण अपील श्रवणाधिकार के आधार पर खारिज की जावे। अन्त में कथन किए कि श्रवणाधिकार निर्धारण होने तदुपरान्त ही मुख्य बहस सुनी जावे।

हमारे द्वारा आलोच्य आदेश तहसीलदार दिनांक 03.06.2016 व इसके विरुद्ध की गई प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर स॰ माधोपुर के आदेश 03.07.17 का अवलोकन किया गया।

इस संबंध में राज॰ काश्तकारी अधि॰ की धारा 222, 223, 224 व 225 का अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

(i) धारा 222 इस अधिनियम द्वारा अनुज्ञात न हो तो अपील का न होना।

(ii) धारा 223 मूल डिक्री की अपीलें- किसी मूल डिक्री की अपील -

(i) यदि ऐसी डिक्री तहसीलदार द्वारा पारित की गई है, तो कलक्टर को होगी, और

(ii) यदि ऐसी डिक्री सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी या कलक्टर द्वारा पारित की गई हो राजस्व अपील अधिकारी को होगी।

(iii) धारा 224 अपीली डिक्रियों की अपील - (1) कलक्टर द्वारा अपील में पारित डिक्री की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को होगी।

(iv) धारा 225 आदेशों की अपीलें - (1) इस अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विर्निदिष्ट स्वरुप के आवेदन पर पारित अंतिम आदेश की और ऐसे अन्य आदेशों की, धारा 212 में और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 104 में वर्णित है, अपील -

(i) यदि ऐसा आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किया जाता है तो कलक्टर को,

(ii)

(iii)

(1-क)

(1-ख)

(2) इस धारा के अधीन अपील में पारित किसी भी आदेश की कोई अपील नहीं होगी।

अपीलांट के अपील मीमो का बिन्दु संख्या 06 में यह अंकन है कि "रा.का.अ की धारा 225 में स्पष्ट प्रावधान है कि तहसीलदार के किसी भी आदेश की अपील जिला कलक्टर को तथा कलक्टर के आदेश की अपील राजस्व अपील अधिकारी को होगी। ..... ।"

- द्वितीय अपील का वर्जन - धारा 225(2) के अनुसार आदेशों की कोई द्वितीय अपील नहीं होती है।

प्रथमतः अपीलांट को उक्त कानूनी प्रावधानों के मुताबिक धारा 225 (2) के अन्तर्गत रा.का.अ० धारा 222 के अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान......रामजीलाल..............बनाम....लल्लू............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका... हुक्म की... जा...
	इस अधिनियम द्वारा अनुज्ञात ही नहीं है। द्वितीय: जब अपीलार्थी को अपील ही अनुज्ञात ही नहीं है तो अपील नहीं हो सकती। और अपील की गई है तो इस न्यायालय में 'एडमिशन' योग्य नहीं व श्रवणाधिकार भी नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील को 'एडमिशन' व 'श्रवणाधिकार' क्षेत्र में न आने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली को इसी स्तर पर दफ्तर दाखिल की जावे। नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास आज 26.06.2023 को सुनाया गया। Sd/- राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Scanned with CamScanner